

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2464]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937
No. 2464]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

का.आ. 3116(अ).— बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में, उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है:-

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. श्री प्रियंक कानूनगो | 02.11.2015 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री यशवन्त जैन | 03.11.2015 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री उमेश आराध्य एच.आर | 04.11.2015 (पूर्वाह्न) |
| 4. सुश्री रूपा कपूर | 04.11.2015 (पूर्वाह्न) |

[फा. सं. 3-12/2014-सी डब्ल्यू-1]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

S.O. 3116(E).— In pursuance of Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Government of India hereby appoint the following persons as Members, National Commissions for Protection of Child Rights with effect from the date as mentioned against their names, for a

period of three years, or until the age of 60 years, or until further orders, whichever is the earliest:-

1. Shri Priyank Kanoongo	02/11/2015 (FN)
2. Shri Yashwant Jain	03/11/2015 (FN)
3. Shri Umesh Aradhya H.R.	04/11/2015 (FN)
4. Ms. Rupa Kapoor	04/11/2015 (FN)

[F. No. 3-12/2014-CW-I]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.